न्यायालय उप तहसीलदार पीलवा (नागौर) राजस्थान

अज अदालतः– सुभाष हेमानी (R.TS)

प्रकरण संख्या :–79 / 2018 — निर्णय दिनांक 16.10.2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये पटवारी		बाबूलाल,बद्धाराम,शकरलाल पुत्र कल्लाराम मेघवाल
पटवार मण्डल बासेड		निवासी सिड़ियास

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बासेड ने अप्रार्थी के विरूद्ध टी.पी. रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सम्वत् 2075 में सरहद ग्राम सिड़ियास के खसरा नम्बर 236 में किस्म बा.1 मेंसे रकबा 0.0400 हेक्ट. भूमि में बाड़ा बना कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बाबूलाल,बद्धाराम,शकरलाल से नोटिस तामील होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुउपस्थित रहा अतः एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती ।

पत्रावली में उपलबध दस्तावेजो एवमं निरीक्षक भू.अ. द्वारा प्रमाणित हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थी का ग्राम सिड़ियास के खसरा नम्बर 236 में किस्म बा.1 मेंसे रकबा 0.0400 हेक्ट. भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 6 .रुपये प्रति हेक्ट. की दर से अतिक्रमित रकबा 0.0400 हेक्ट. भूमि के 0.24 रुपये लगान का 50 गुणा 12 /– अक्षरे बारह रुपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को क्रमशः माग कायमी व वसूली हेतु लिखा जावे । पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर इजराय की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप तहसीलदार पीलवा

जिला नागौर